न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3, हाथरस।
आपराधिक अपील संख्या–06/2025
मीना सिंह बनाम जयशिव कुमार शर्मा एवं कम्पनी

दिनांकः–14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट पर पूर्व में सुना जा चुका है। आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट

विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट इस आशय से दिया गया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांकित–21.01.2025 आधारहीन कपोल कल्पित तथ्यों पर दिया गया है। अपीलार्थी की अपील भी निराधार कपोल कल्पित तथ्यों पर दाखिल की गयी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण सुनने व सुनने का अवसर देने के बाद विधि सम्मत आदेश (निर्णय) पारित किया गया है। अपीलार्थी श्रीमती मीना सिंह व उसका पति मैं० चम इम्पैक्स प्रा०लि० के मालिक एक अत्यधित, चतुर व चालाक, धोखेवाज आदमी हैं। उसका मुख्य पेशा सीधे–साधे व्यक्ति अर्थात् विभिन्न मण्डियों के आड़तियों के साथ धोखाधड़ी करना है। इसी सम्बन्ध में उक्त लोगों के विरुद्ध मण्डी निरीक्षक मण्डी समिति बरेली उ०प्र० मण्डी जवाहरगंज, गणमुक्तेश्वर, हापुड़ एवं कनिष्क मनचन्दा, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, आदि द्वारा मुकदमें लिखाये गये हैं, जिनकी छायाप्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल है। अपीलार्थी श्रीमती मीना सिंह एक शातिर किस्म आपराधिक प्रवृति वाली महिला है। उस प्रार्थी/ वादी के 97,79842/– रुपये के धान को लेकर हजम व हड़प कर लिया है और जान–बूझकर प्रार्थी/वादी को फर्जी व बोकस चैक दिये, जिनका भुगतान सन् 2018 से करना नहीं चाहती है। अपीलार्थी मीना सिंह द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र महज उक्त अपील को टालने एवं विपक्षी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से दिया गया है जो कतई पोषणीय नहीं हैं। अपीलार्थी का यह कथन कि विपक्षी आदि के विरुद्ध मु०अ०सं०–712/2018, थाना कलैक्टरगंज में दर्ज कराया गया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मुकदमा झूठा व फर्जी दर्ज कराया गया था। जिसमें विवेचक द्वारा वाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट सं0–78/2019 दिनांक–31.05.2019 को प्रेषित की गयी थी। जो अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के साथ पेज नं0–134 से पेज नं0–

Digitally signed by HARSH AGARWAL
Date: 2025.07.17 10:50:02 IST
Reason: Judicial Order
Location: A.D.J. Court No.3, Hathras

149 तक दाखिल है। N.I. Act की धारा–148 के प्राविधानों के अनुसार अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्वान पारित किये गये आदेश अं०धारा–357 (3) द०प्र०स० के तहत बासठ लाख रुपया (62,00,000/– रुपये) अदा करने के लिये आदेशित किया गया है। उसकी आधी धनराशि अर्थात् 50% विपक्षी को दिलाया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। N.I. Act की धारा–148 के प्राविधानों के अनुसार अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्वान पारित किये गये आदेश अं०धारा–357(3) दं०प्र०स० के तहत बासठ लाख रुपया (62,00,000/– रुपये) अदा करने के लिये आदेशित किया गया है। उसकी आधी धनराशि अर्थात् 50% विपक्षी को दिलाया जाने के आदेश पारित करने की याचना की गई है।

अपीलार्थिनी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर **मौखिक रूप से विरोध** करते हुए कथन किया है कि मामले में प्रार्थना पत्र दुर्मन्तव्य से परेशान करने की नीयत से विधिक प्राविधानों का गलत अभिप्राय निकालते हुए प्रस्तुत किया है, जो किसी भी तरह पोषणीय नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थिनी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि विपक्षी द्वारा बिना किसी आधार के यह मुकदमा योजित किया, जिसमें अभियुक्ता/अपीलार्थिनी का इस मामले से कोई लेना–देना नहीं है। इस बात पर विशेष बल दिया है कि प्रश्नगत चैक मय चैकबुक को लूट लिया गया था, जिसे विपक्षी/परिवादी व अन्य द्वारा कम्पनी ऑफिस से लूटा था। गलती से कुछ चैक जो हस्ताक्षरित थे, कंपनी में ही रह गये थे, जिसमें परिवादी/विपक्षी द्वारा मनचाही धनराशि भरकर बैंक में प्रस्तुत कर दिये गये। इस बात पर भी बल दिया गया है कि अपीलार्थिनी द्वारा दिनांक 18.10.2018 को ही अपनी कम्पनी चम इम्पैक्स कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को भी विधिवत रूप से सूचित कर दिया गया था। इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करते हुए अवगत कराया गया है कि फार्म DIR–12 भी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को प्रेषित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत चैक अथवा उससे संबंधित कोई भी अपराध से अपीलार्थिनी का कोई लेना–देना नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट पोषणीय न होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इस बात पर भी बल दिया गया है कि दिनांक 19.11.2018 को परिवादी जयशिव कुमार शर्मा अपने 25–30 अन्य लोगों के साथ घातक हथियारों से लैश होकर 8 करोड़ रुपये का धान, चैकबुक, अन्य जरूरी कागजात लूटकर व सामान ट्रकों में भरकर भाग गये, जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०स० प्रस्तुत किया जिसके आधार पर परिवादी व अन्य नामजद 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचक द्वारा एफ.आर. प्रेषित कर दी गई, जिसके विरुद्ध प्रोटेस्ट अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होना बताया गया है। ऐसी परिस्थितियों में भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत चैक अपीलार्थिनी द्वारा निर्गत किये गये थे, अपितु धोखे में लूट कारित कर परिवादी व उसके लोगों ने चैक का दुरुपयोग कर यह मामला अवर न्यायालय के समक्ष योजित किया, जिसमें अवर न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गलत निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थिनी के विरुद्ध कोई भी देनदारी नहीं बनती है, जिसके फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया है कि माननीय न्यायालयों की विभिन्न नजीरों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि किसी भी चैक को निर्गत/हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति दो श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जिसमें पहला authorized signatory है व दूसरा Drawer of the Cheque है। माननीय न्यायालयों की विभिन्न नजीरों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि **authorized signatory** का कोई अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट साबित नहीं माना जा सकता। धारा 138 एन.आई.एक्ट के लिए **Drawer of the Cheque** होना जरूरी है, जो कम्पनी के लिए कार्य कर रहा है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीरें दाखिल की गई हैं–

1. Bijay Agarwal Vs. M/s Medilines, Special Leave Petition (Crl.) No. 2696 of 2024 व Special Leave Petition (Crl.) No. 2695 of 2024,

2. Muskan Enterprises & Anr. Vs. The State of Punjab & Anr. Criminal Appeal No. 54/2024. {SLP (Crl.) No. 8072/2024},

3. Shri Gurudatta Sugars marketing Pvt. Ltd. Vs. Prithviraj Sayajirao Deshmukh & Ors., Special Leave to Petition (Crl.) Nos.8849–8850 of 2023

इन नजीरों में अन्य नजीरों का भी हवाला देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया कि धारा 7 एन.आई.एक्ट के अनुसार The maker of a bill of exchange or cheque is termed the drawer.

उपरोक्त वर्णित नजीरों में **Shri Gurudatta Sugars marketing Pvt. Ltd.** नजीर में यह सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया गया है (यह सिद्धांत अन्य नजीरों में भी संदर्भित किया गया है।) कि–

30. The distinction between legal entities and individuals acting as authorized signatories is crucial. Authorized signatories act on behalf of the company but do not assume the company's legal identity. This principle, fundamental to corporate law, ensures that while authorized signatories can bind the company through their actions, they do not merge their legal status with that of the company. This distinction supports the High Court's interpretation that the drawer under Section 143A refers specifically to the issuer of the cheque, not the authorized signatories.

34. The respondents correctly argued that an authorised signatory is not a drawer of the cheque, as established in **N. Harihara Krishnan Vs J. Thomas (2018)13 SCC 663**. This judgment clarified that a signatory is merely authorised to sign on behalf of the company and does not become the drawer. The respondents' interpretation aligns with the principle that penal statutes should be interpreted strictly, particularly in determining vicarious liability. The judgment in **K. K. Ahuja Vs V. K. Vohra (2009) 10 SCC 48** further supports this approach, emphasising that penal provisions must be read strictly to determine liability.

नजीर **Shri Gurudatta Sugars marketing Pvt. Ltd. Vs. Prithviraj Sayajirao Deshmukh & Ors., Special Leave to Petition (Crl.) Nos.8849–8850 of 2023** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष देते हुए पैरा संख्या 15.2 व 15.3 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

15.2. General Rule of Criminal Liability

The High Court noted the general rule against vicarious liability in criminal cases, where individuals are typically not held criminally liable for acts committed by others. However, this principle is subject to exceptions created by specific statutory provisions extending liability to additional parties. Section 141, NI Act is one such provision that extends criminal liability for dishonour of a cheque committed by a company to its officers. The Court emphasized that liability under Section 141 arises from the conduct, act, or omission of the person involved, not merely their position in the company. The provision establishes vicarious liability for officers of the company, such as signatories of the cheque, managing directors, or those in charge of its affairs, by legal fiction. Thus, while the drawer of the cheque remains primarily liable, Section 141 broadens liability to include others associated with the company's management, ensuring accountability beyond the drawer alone.

15.3. Authorised signatory cannot be equated to the company

Further, the High Court delved into the distinction between legal entities and individuals acting as authorized signatories within the framework of the NI Act. The Court observed that while individuals may sign cheques as authorized representatives of companies, they do not assume legal identity of the company itself. It clarified that a legal entity, such as a corporation or company, is an artificial creation of the law endowed with rights, duties, and the capacity to sue and be sued

independently of the individuals who manage or represent it. The Court emphasized that an authorized signatory, despite acting on behalf of a company, remains distinct as an individual under the law. This distinction is crucial as it clarifies that the actions and obligations undertaken by an authorized signatory are attributable to the company they represent, but do not merge their legal status with that of the company itself. Thus, while an authorized signatory may bind the company through their actions, they do not transform into a legal entity in the eyes of law.

उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में प्रस्तुत मामले में अपीलार्थिनी का कोई योगदान प्रश्नगत चैक के भुगतान अथवा भुगतान के न होने पर दाण्डिक अपराध किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है।

अन्य नजीर **Adhiraj Singh Vs. Yograj Singh and Others. [S.L.P (Crl.) No(S). 16051–16052 of 2023]** में वर्णित तथ्य दिये गये मामले से बिल्कुल मेल खाते हैं जहाँ भी माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थिनी द्वारा इस्तीफा दिये जाने के फलस्वरूप उसका कोई योगदान प्रश्नगत चैक के भुगतान अथवा भुगतान के न होने पर दाण्डिक अपराध किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है।

7. Having considered the submissions made by learned counsel for the parties, we find that in the present case on the date of issuance of the cheques, the appellant had already resigned. The fact regarding resignation is not in dispute. It is also not in dispute that the cheques issued by the Company were signed by another competent person on behalf of the Company. Once the facts are plain and clear that when the cheques were issued by the Company, the appellant had already resigned and was not a director in the Company and was not connected with the company, he cannot be held responsible for the affairs of the Company in view of the provisions as contained in Section 141 of the NI Act.

विपक्षी की ओर से भी अपने तर्कों पर बल देते हुए नजीर प्रस्तुत की है जो **Criminal Appeal No(s) 2741 of 2023 (@SLP (Crl.) No(s) 4927 of 2023, Jamboo Bhandari Vs M.P. State Industrial Development Corporation Ltd, and ors.** है, जिसका निर्णय दिनांक 04.09.2023 को पारित किया गया में स्पष्ट रुप से जबतक कि विशेष प्रतिकूल परिस्थितियाँ न हों, धारा 148 एन.आई. एक्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र पर पुनः बल देते हुए, धारा 148 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत चैक धनराशि के पचास प्रतिशत धनराशि को दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया पत्रावली का गहनता पूर्वक परिशीलन किया गया। मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि अपीलार्थिनी द्वारा दिनांक 18.10.2018 को ही अपनी कम्पनी चम इम्पैक्स कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को भी विधिवत रूप से सूचित कर दिया गया था। इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करते हुए अवगत कराया गया है कि फार्म DIR–12 भी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को प्रेषित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत चैक अथवा उससे संबंधित कोई भी अपराध से अपीलार्थिनी का कोई लेना–देना नहीं है।

इस बाबत भी साक्ष्यों के साथ तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.11.2018 को परिवादी जयशिव कुमार शर्मा अपने 25–30 अन्य लोगों के साथ घातक हथियारों से लैश होकर 8 करोड़ रुपये का धान, चैकबुक, अन्य जरूरी कागजात लूटकर व सामान ट्रकों में भरकर भाग गये, जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०स० प्रस्तुत किया जिसके आधार पर परिवादी व अन्य नामजद 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचक द्वारा एफ.आर. प्रेषित कर दी गई, जिसके विरुद्ध प्रोटेस्ट अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होना बताया गया है। ऐसी परिस्थितियों में भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत चैक अपीलार्थिनी द्वारा निर्गत किये गये थे, अपितु धोखे में लूट कारित कर परिवादी व

उसके लोगों ने चैक का दुरुपयोग कर यह मामला अवर न्यायालय के समक्ष योजित किया।

अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया है कि उनके द्वारा माननीय न्यायालयों की विभिन्न नजीरों में जो इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी है, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि किसी भी चैक को निर्गत/हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति दो श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जिसमें पहला authorized signatory है व दूसरा Drawer of the Cheque है। माननीय न्यायालयों की विभिन्न नजीरों में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि authorized signatory का कोई अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट साबित नहीं माना जा सकता। धारा 138 एन.आई.एक्ट के लिए Drawer of the Cheque होना जरूरी है, जो कम्पनी के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थिनी घटना के समय चैक प्रस्तुत किये जाने प्रश्नगत कम्पनी की डायरेक्टर नहीं थी और उसके द्वारा चैक बुक की लूट हो जाने के कथन को भी साबित किया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थिनी द्वारा उपरोक्त चेक पर जो दस्तखत होना बताए गए हैं वे ऑथराइज सिगनेट्री की क्षमता में किये गये थे अथवा ड्रॉअर के रुप में हस्ताक्षरित किये गए थे, यह उपलब्ध प्रपत्रों अथवा साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं होता है। इस संबंध में पत्रावली का विस्तृत से परिशीलन करते हुए विस्तारपूर्वक बहस सुने जाने की आवश्यकता है।

अतः ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थिनी के विरुद्ध किसी भी दण्डात्मक कार्यवाही का किया जाना अपील पर बहस के पश्चात साबित किया जा सकेगा। अतः इस स्तर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों के उपरोक्त तर्कों को सुनकर यह न्यायालय इस मत का है कि विद्वान अधिवक्तागण दोनों पक्षों के द्वारा जो नजीरें दाखिल की गई हैं और जो तर्क दोनों पक्षकारों की ओर से उपरोक्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि इस मामले में जो अपीलार्थिनी द्वारा अपील दाखिल की गई है, उसके संबंध में उसके संबंध में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थिनी द्वारा जो प्रश्नगत चैक हस्ताक्षरित किया है व निष्पादित किया है क्या वह authorized signatory के रूप में निष्पादित

किया है अथवा Drawer of the Company के रूप में निष्पादित किया है। इस संबंध में अपील की सुनवायी के दौरान ही तथ्यों का निस्तारण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह न्यायालय इस मत का भी है कि प्रस्तुत मामले में जिस तिथि पर चैक निष्पादित किया जाना बताया है, उस तिथि पर अपीलार्थिनी कंपनी की डायरेक्टर थी भी अथवा नहीं यह भी अपील का विचारणीय बिन्दु है। साथ ही प्रश्नगत चैक को लूटा जाना भी बताया है। उपरोक्त तथ्यों की बाबत अपील के विस्तृत तथ्यों पर जाना आवश्यक है। जिसके लिए मूल पत्रावली का भी अवलोकन जरूरी है। प्रस्तुत मामले में इस स्तर पर धारा 148 एन.आई.एक्ट के तहत जो प्रार्थना पत्र विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, का निस्तारण किया जाना है, किन्तु उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस स्तर पर धारा 148 एन.आई.एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं। जैसा कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है। अतः इस स्तर पर धारा 148 एन.आई.एक्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र 148 एन.आई.एक्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 एन.आई.एक्ट दिनांकित 29.03.2025 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 30.07.2025 को पेश हो।

दिनांक 14.07.2025

अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 03, हाथरस।